न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–01/2015

मेघावती देवी बनाम अंजनी कुमार

आदेश की क्रम संख्या, और तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 03
5.08.15	**आदेश** यह पुनरीक्षण वाद मेघावती देवी, पति–स्व0 उपेन्द्र नारायण झा, ग्राम–कोरलाहा, थाना–धमदाहा, जिला–पूर्णियाँ ने अंजनी कुमार, पे0–गैना प्रसाद सिंह, ग्राम–बलतारा, थाना–गोगरी, जिला–खगड़िया को विपक्षी पक्षकार बनाते हुए भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया के दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–03/2014–15 में पारित आदेश के विरूद्ध लाया है। आवेदिका का कहना है कि निम्न न्यायालय का आदेश कानूनी दृष्टिकोण से अवैध है। निम्न न्यायालय ने दिनांक 07.06.1962 का तथाकथित जाली एवं बनावटी केवाला जो कभी कार्यान्वित (Acted upon) नहीं हुआ और 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी उस विलेख पत्र के आधार पर कोई जमाबंदी कायम नहीं हुयी इस पर कोई विचार नहीं किया। निम्न न्यायालय को उस केवाला पर पुनरीक्षणकर्त्ता का हस्ताक्षर है अथवा नहीं इसकी जाँच विशेषज्ञ से करवाना चाहिए था। उनका कहना है कि विपक्षी या उनके पिता के नाम कोई केवाला नहीं था। तथाकथित बंटवारे की बात यर्थार्थ साक्ष्य के साथ समर्थित नहीं है। पुनरीक्षणकर्त्ता एक अंधी महिला है। इसलिए विपक्षी द्वारा दखल का दावा को उनका वास्तविक दावा निम्न न्यायालय द्वारा नहीं माना जाना चाहिए था। फसल बंटवारे को भी दखल का आधार बनाकर नामांतरण आदेश पारित करना सही नहीं है। पुनरीक्षणकर्त्ता के नाम से पुरानी जमाबंदी को 50 वर्ष के बाद छेड़छाड़ करना नहीं चाहिए था। विपक्षी को अपना स्वत्व का घोषणा करवाना चाहिए था, जबकि पुनरीक्षणकर्त्ता तथाकथित केवाला को अस्वीकार करती है, तथा निम्न न्यायालय को पुनरीक्षणकर्त्ता के हस्ताक्षर या अंगूठा के निशान को विशेषज्ञ से जाँच करवाना चाहिए था। अंचल अधिकारी ने नामांतरण वाद संख्या–497/2013–14 में वैध आदेश पारित किया था, जिसे निम्न न्यायालय को बहाल रखना चाहिए था। पुनरीक्षणकर्त्ता ने अंत में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया के आदेश दिनांक 01.11.2014 को खारिज करने का अनुरोध किया है। विपक्षी ने प्रतिउत्तर दाखिल करते हुए कहा है कि पुनरीक्षणकर्त्ता का यह बात कानूनन संधारणीय नहीं है। विपक्षी ने कहा है कि एक लंबी अवधि तक अपने नाम नामांतरण नहीं कराने के फलस्वरूप संबंधित केवाला अवैध हो जायेगा ऐसा कोई कानूनन प्रावधान नहीं है। पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा विपक्षी को निबंधित केवाला जो उनके द्वारा निष्पादित है के विरूद्ध कुछ कहने का अधिकार नहीं है। आवेदिका की अंधी होने की कहानी असत्य है। विपक्षी खरीदी गयी जमीन पर खरीदगी के समय से ही दखलकार है, तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में पारित आदेश सही है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना, तथा पक्षकार द्वारा दाखिल कागजातों का परिशीलन किया। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया का दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–03/2014–15 का गहन अध्ययन किया। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया ने विवादित जमीन मौजा–बोरने, तौजी नं0–9401, थाना नं0–162, खाता नं0–362, खेसरा नं0–6901, रकवा–13 कट्ठा 10 धूर तथा खेसरा–6879 रकवा–	

देश की क्रम संख्या और तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 03
	01 बीघा 05 कट्ठा 11 धूर कुल रकवा 01 बीघा 19 कट्ठा 01 धूर जमीन भोला प्रसाद सिंह द्वारा जमाबंदी रैयत मेघावती देवी अर्थात पुनरीक्षणकर्त्ता से दिनांक 07.06.1962 को खरीदी गयी जिसका केवाला संख्या–3418 है। विपक्षी द्वारा इस विवादित जमीन को आपसी बंटवारे में उनके पिता के हिस्से में आने का दावा किया है। विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया ने मात्र दखल के आधार पर अचंल अधिकारी द्वारा पारित नामांतरण वाद संख्या–497/2013–14 के आदेश को खारिज कर दिया है तथा अपीलार्थी का आवेदन स्वीकृत कर दिया है, परन्तु नामांतरण किसके नाम से हो इसे विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया ने अपने आदेश में गौण रखा है। क्रेता भोला प्रसाद सिंह जीवित है या मृत है इसका उल्लेख भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया के आदेश में नही है, परन्तु अंचल अधिकारी, चौथम का नामांतरण वाद संख्या–497/2013–14 की छायाप्रति जो भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया के अपील वाद संख्या में संलग्न है का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी, चौथम ने केवालादार बाबू भोला प्रसाद सिंह के नाम से अभिलेख प्रारंभ किया था, जो सही प्रतीत होता है, परन्तु विक्रेता पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा असहमति व्यक्त करने के आधार पर इसे खारिज कर दिया गया है जो वैध प्रतीत नहीं होता है। इसलिए विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा अंचल अधिकारी, चौथम द्वारा नामांतरण वाद संख्या–497/2013–14 में पारित आदेश को खारिज करने का आदेश सही प्रतीत होता है। अंचल अधिकारी, चौथम को आदेश दिया जाता है कि नामांतरण आदेश केवालादार के नाम करें। अगर केवालादार जीवित न हो तो उनके वैध उत्तराधिकारी के पक्ष में दखल कब्जा देखकर विधिवत नामांतरण आदेश पारित करें। अगर विपक्षी तथाकथित बंटवारेनामा का वैध्य कागजात प्रस्तुत करता है तो उनके नाम उनके दखल को देखकर उनके पक्ष में केवालादार के वारिसानों की सहमति प्राप्त कर नामांतरण आदेश पारित कर दें। पुनरीक्षणकर्त्ता का दावा विधिवत नहीं पाते हुए उनका पुनरीक्षण वाद को खारिज किया जाता है वे चाहें तो तथाकथित केवाला रद्द करने हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय का शरण ले सकती है। इसी आदेश के साथ वाद का निस्तार किया जाता है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ वापस भेंजे तथा एक प्रति अंचल अधिकारी, चौथम को भी उपलब्ध करावें साथ ही एक प्रति जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित 5/8/15 अपर समाहर्त्ता, खगड़िया। 5/8/15 अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।	